



फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/33/2023-2024

31 जुलाई, 2023

सेवा में,

श्री पंडित एस. एल. व्यास
संचालक, श्री भादरिया माता मंदिर फलोदी
आईजी नाड़ी के उपर, पोकरण रोड, पो. बा. 11,
फलोदी, जिला-जोधपुर, राजस्थान-342301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपील की सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 12.07.2023 का पत्र इस सचिवालय 24.07.2023 में प्राप्त हुआ है, जिसके साथ दस रुपये का पो.आ.सं. 61एफ 891307 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार कि जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

(राजेश कुमार शर्मा)

rticell-vps@nic.in

467-408

12/7/2023

प्रत्यक्ष
रखना का अधिकार अधिनियम 2005
धारा 6(1)
याही गई रखना का आवेदन पत्र

R7 No. 33

Not Related to

Regd

Page No. 407
Date: 12/7/2023

CL 50
10 अभिलेखीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार

उपराष्ट्रपति भवन सचिवालय नई दिल्ली-110011

आतिथ्य पत्र

1 आवेदक पंडित एस एल व्यास 'संचालक' श्रीमद्वरिषा मौलामहिन फलौड़ी 'आईजी नार्ड' के उपर पोकरण नोट/080X No 11 PHALOURI (जिला जोधपुर) 342301 m 8239067024 फलौड़ी

2 रखना का प्रकार - उचित आवश्यक (V)

3 रखना का विवरण - (1) श्रीमद्वरिषा मौलामहिन फलौड़ी 'वमहिन सम्पति धर्मसार पारी डेवेंती हुई न्याय नहीं मिला संचालक को क्यों भारत देश में ही गरीब छाछण के साथ अन्याय आज तक। पत्र की फोटो को भी संचालक 3-4 युग प्रचिन महिन को अतिक्रमण के बदले जिला सरकार के आदेश कोर्ट, राष्ट्रपति जी आदि की स्वीकृती नहीं किन्ही विध्वंसाई कर दिया आवाहें आप इस विषय महक करे राजन सरकार मौन न्याय नहीं मिला मुझे तभी आपसे निवेदन RTI ACT 2005 के तहत जवाब हेवे उपलब्ध रखना कावे।

(2) राष्ट्रपति भारत सरकार से RTI अनुसूक्त क्लाम जी के लिखा आदेशा सीकिया PR/1062894 Dt 16/6/2024 जारी प्राप्त हुआ 9/7/2024 (शिका पत्र)

याचिका का जवाब मिला सभी सी कार्यवाही चालु है न्याय का राजन सरकार में अभाव। इसे उक्त महिन व महिन परिसर का भीर्नोकर चार दिवारी परिसर की परिधी में बनावे व मसिध से समरा 573 में नुवशान नहीं करे वतनी मसू हिरावे सड्ड से काफ़ी दूरी पर है न्याय हिरावे। स्वयं न्यायालय अनुसार 12 वर्ष से जिसक कब्जा अवैध जमीन उसीकी तीन जलो की व्यवस्थाता अनुसार वो स्वयं जमीन का मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने दिया लिमिटेशन एक्ट 1963 के दवाले से बाडा फैसला दिया।

(3) आप कोरा गरीब छाछण के पक्ष में न्याय हिरावे RTI ACT 2005 के तहत निराशा से भी बचावे। 18 वर्ष की तन न्याय मिलाया नही जबाबदारी रखना मसू हिरावे में सहयोगी बने उपराष्ट्रपति जी आदेशा तो हेवे अन्तिम आवाहें आप से।

(4) RTI No IP No 61 F 891307 Dt 12/7/2023 RS. 10/-

(5) जीवन से संबंधित हैं उक्त तीनों पत्र धारा 5 में नहीं आते हैं मसू करावे इसे शीघ्र 5 दिनों में दे।

रखना फलौड़ी (जिला जोधपुर) समय 11-55 AM अवधि 5 दिन

संलग्न - दो
दिनांक 12/7/23

4 पंडित एस एल व्यास

300-101-21
2007-11-16

MIRAJ

১৯৮৫/৮৬

[illegible]

(V) संस्कृत वि-३ - संस्कृत भाषा

[illegible][illegible][illegible]

15/11/19



श्री भादरिया माता मन्दिर फलोदी

संचालक : पण्डित एस.एल.व्यास

पता- आईजी नाडी के ऊपर, पोकरण रोड, पो. बा. 11 फलोदी- 342301 जिला जोधपुर (राज.)



पत्र संख्या- BHA.RAYMA/M/संचा/SLV/.....

संचालक- पं. एस.एल. व्यास

उपराष्ट्रपति भारत सरकार / 588-600 रिमाइन्स 142 पत्र

दिनांक 18/8/06.....

बु.मु.त.	ल.	म.8
च.	स.	7
11	9	
12	6	
1	5	
2	4	

माननीय श्री भैरोसिंह शेखावत,
उपराष्ट्रपति,
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय :- गत दिनांक 7.4.2004 को इस मन्दिर व मन्दिर सम्पत्ति में चोरी, डकैति, लूटमार ई.ओ. राजेन्द्र चौधरी न.पा.फलोदी व असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति, सोने के आभूषण नकदी भय बहुमंजिली मंदिर निर्माण सामग्री सहित करोड़ों रुपयों की भारी क्षति की यथा स्थान मंदिर 400 X 400 फुट की परिधि में बनाकर 15 दिनों में चाबी दिलवाने। RSR 25 F, 25 J, 25 H व आचार संहिता MLA चुनाव अवधि व धारा 2 (घ) च का भी भारी उल्लंघन किया गया। महाराज की आज्ञानुसार जारी मदद हेतु।

माननीय शेखावतजी,

भादरीया माता का आर्शिवाद। उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार पत्र जारी, राजेन्द्र चौधरी सचिव नगरपालिका फलोदी मयं जितेन्द्र पाण्डे, मनमोहन व्यास, गोपाराम चौधरी, विक्रम सिंह, विशाल बंसल कं द्वारा श्री भादरिया माता मन्दिर फलोदी में गत दिनांक 7.4.2004 को करोड़ों रुपयों की क्षति की। आभूषण, मूर्ति, 280 तोला सोना, नकदी तथा मंदिर बहुमंजिलिय निर्माण सामग्री सहित नीचे खोदकर अण्डर ग्राउण्ड में से ले गये। मन्दिर व मन्दिर की सम्पत्ति को शीघ्र यथा स्थान पुनः मंदिर 400 X 400 फुट की परिधि में चार दिवारी व मूर्ति तथा 22 लाख रुपये नकद भेंट राशि युक्त बनाकर चाबी सौंपने में कामयाब नहीं हुई आज तक।

राष्ट्रपतिजी के पत्र प्राप्ति अनुसार 5 बार इन्हें नोटिस दे चुके हैं। RSR 25 F, 25 J, 25 H व आचार संहिता MLA चुनाव अवधि व धारा 2 (घ) च का जानबूझ कर उल्लंघन किया एवं परेशान कर रहे हैं। मदद व विशेष सहयोग हेतु वांछित अनुत्तोष शीघ्र दिलावें।

संचालक पण्डित एस.एल. व्यास
स्थान फलोदी जिला जोधपुर 342301
(एस.एल. व्यास)
फलोदी 342301

क्रमांक :- 588-600

लेटर बॉक्स नं० 11 संचालक

दिनांक :- 18.8.06

प्रकाशनार्थ हेतु :- सभी समाचार पत्रों में जारी न्यूज राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, लटियाल संदेश, जन सप्ताह, नव भारत हिन्दुस्तान टाइम्स व अन्य सभी में जारी।

पत्रांक सं:

अतिआवश्यक पत्र

संचालक

पं. एस.एल. व्यास

